



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी प्रकरण कमांक-

क्रमांक - 2853-146

1. बाबूलाल यादव (फोट)
वारिसान
- अ. गोवर्धन यादव तनय बाबूलाल यादव
- ब. जाहर तनय बाबूलाल यादव
- स. सौबत तनय बाबूलाल यादव
- द. जमना तनय बाबूलाल यादव
- य. रघुवीर तनय बाबूलाल यादव
2. सुन्ना तनय सरमन यादव सभी निवासी
हीरापुर तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़
म.प्र.

22.8.18

...निगराकारगण

बनाम

शासन मध्यप्रदेश

....प्रति निगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा- 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता
प्रस्तुत निगरानी अ-74/50/70-71 आदेश दिनांक 01.09.
1971 खसरा पंचशाला संलग्न टिप्पणी के अनुसार से व्यथित
होकर समक्ष श्रीमान् के प्रस्तुत की जा रही है

महोदय,

निगराकारगणों की विनय निम्न प्रकार है :-

1. यह कि खसरा कमांक-121अ, 122अ, 122स, 122द, 433, 432, 121/2, 121/1, 123, 124, 122क, 123अ, एकत्र रकवा 10.038 हैक्टेयर निगराकारगणों के पिता बाबूलाल, सरमन तनय नत्थू यादव को प्रकरण कमांक- 50/नायबी/1963 के आदेश दिनांक 18.12.1963 को भू स्वामी के अधिकार प्रदान किये गये थे, जिस पर काबिज कास्त होकर लगातार कृषि कार्य करते आ रहे हैं।
2. यह कि उक्त भूमि संवत् 2029 के खसरा कालम में कलेक्टर महोदय के आदेश की टीप का उल्लेख है, जिसमें आदेश दिनांक 01.09.1971 को भूमि को शासकीय मद में दर्ज कर दिया गया, जबकि उक्त भूमि पर निगराकारगण जिन्हें भूमि पैतृक उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, जिसे शासकीय घोषित कर दिया गया।

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-2853-एक/2016

जिला-टीकमगढ़

बाबूलाल यादव(मृतक) वारिसान-गोवर्धन यादव आदि विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
27-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक अ-74/50/1970-71 खसरा पंचशाला से व्यस्थित होकर आदेश दिनांक 01-09-1971 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला-टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 04-11-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(जे०के० जैन) सदस्य</p>